

वचाराधीन कैदियों के लिये मतदान का अधिकार

प्रलिस के लिये:

कैदियों के वोट का अधिकार, एनसीआरबी, अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) से संबंधित प्रावधान।

मेन्स के लिये:

वचाराधीन कैदियों के लिये मतदान का अधिकार।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने जनप्रतनिधित्व कानून के एक प्रावधान को चुनौती देने वाली एक याचिका पर वचिर करने का फैसला किया है जो वचाराधीन कैदियों, [सविलि जेलों](#) में कैद व्यक्तियों और जेलों में सज़ा काट रहे कैदियों पर वोट डालने से पूरण प्रतबिंध लगाता है।

संबंधित नहितार्थ:

- **जनसंख्या के एक बड़े हसिसे को वंचित करता है:**
 - [राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो \(एनसीआरबी\)](#) की वर्ष 2021 की नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि 31 दसिंबर, 2021 तक देश भर की वभिनिन जेलों में कुल 5,54,034 कैदी थे।
 - वर्ष 2021 के अंत तक दोषियों, वचाराधीन कैदियों और बंदियों की संख्या क्रमशः 1,22,852, 4,27,165 और 3,470 थी, जो कुल कैदियों के क्रमशः 22.2%, 77.1% और 0.6% थी।
 - वर्ष 2020 से 2021 तक वचाराधीन कैदियों की संख्या में 14.9% की वृद्धि हुई थी।
- **कानून और लोकतंत्र के सम्मान में कमी:** जेल के कैदियों को मताधिकार से वंचित करने से ऐसा संदेश पहुँचने की अधिक संभावना है जो उन मूल्यों को बढ़ाने वाले संदेशों की तुलना में कानून और लोकतंत्र के प्रत सम्मान को कमजोर करते हैं।
- **अधिकार से वंचित रखना:**
 - वोट देने के अधिकार से वंचित रखना दंड के वैद्य मापदंडों का अनुपालन नहीं करता है।
 - यदि एक दोषी व्यक्त जमानत पर बाहर होने पर मतदान कर सकता है, तो एक वचाराधीन व्यक्त को उसी अधिकार से वंचित क्यों किया जाता है, जसि अभी तक कानून की अदालत द्वारा अपराध का दोषी नहीं पाया गया है।
 - यहाँ तक कि एक देनदार (एक व्यक्त जसिने अदालत के फैसले के बावजूद अपने करज का भुगतान नहीं किया है) जसि एक नागरिक के रूप में गरिफतार किया गया है, उसे वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाता है। [सविलि जेलों में नज़रबंदी अपराधों के लिये कारावास के वपिरीत है।](#)
- **उचित वर्गीकरण का अभाव:**
 - दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, कनाडा, आदि देशों के वपिरीत इस प्रतबिंध में अपराध की प्रकृति या सज़ा की अवधि के आधार पर उचित वर्गीकरण का अभाव है।
 - वर्गीकरण का यह अभाव [अनुच्छेद 14 \(समानता का अधिकार\)](#) के तहत समानता के मौलिक अधिकार के लिये अभिशाप है।

मतदान से संबंधित कैदियों के अधिकार:

- संवधान के [अनुच्छेद 326](#) के तहत मतदान का अधिकार एक संवधानिक अधिकार है।
- लोक प्रतनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) के तहत पुलिस की कानूनी हरिसत में और दोषी ठहराए जाने के बाद कारावास की सज़ा काटने वाले व्यक्त मतदान नहीं कर सकते। वचाराधीन कैदियों को भी चुनाव में भाग लेने से बाहर रखा जाता है, भले ही उनके नाम मतदाता सूची में हों।
- केवल [नविरक नरिंध](#) के तहत शामिल व्यक्त डिाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

प्रश्न- भारत के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि:

1. जब कोई कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल से वंचति नहीं कयिा जा सकता क्योकयिह उसके अधकिार का मामला बन जाता है।
2. कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लयिे राज्य सरकारों के अपने नयिम हैं।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या :

- पैरोल को उन कैदियों के लयिे वशिषाधकिार के नज़रयिे से देखा जा सकता है जो समाज में फरि से शामिल होने में सकषम प्रतीत होते हैं।
- हालाँकि कुछ आपराधकिे कानून पैरोल की अंतमि सुनवाई का अधकिार रखते हैं, वशिषिट कानून पैरोल की पूरी तरह से गारंटी नहीं देते हैं। जनि कैदियों को वे खतरनाक समझते हैं, उन्हें पैरोल देने से इनकार करने का अधकिार अधकिारयिों के पास है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- पैरोल, जेल अधनियिम, 1894 और जेल अधनियिम, 1900 के तहत बनाए गए नयिमों द्वारा शासति होता है। कई राज्य सरकारों ने नरिणय लेने की सुवधि के लयिे दशिा-नरिदेश भी तैयार कयिे हैं ताकायिह नरिधारति कयिा जा सके कककिंसी वशिष मामले में पैरोल दी जानी चाहयिे या नहीं। उदाहरण के लयिे राजस्थान प्रज़िनरस रलीज़ ऑन पैरोल नयिम, 1958। **अतः कथन 2 सही है।**

अतः वकिल्प (b) सही है।

[स्रोत: द हट्टि](#)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/voting-rights-for-under-trial-prisoners>

